मत्स्य निदेशालय,

झारखण्ड, राँची

सं0 सं0- म0 नि0-X - बैठक-52/2016-17/ 1423 / मत्स्य / राँची, दिनांक 3.08.16

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)
जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)।

विषय : दिनांक 30.07.2016 को मुख्य सचिव महोदया द्वारा आहूत वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में रिवराईन फिश फार्मिंग (RFF) के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 30.07.2016 को मुख्य सचिव महोदया द्वारा सम्पन्न वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक की कार्यवाही की कंडिका '9' से '11' में दिये गये दिशा-निदेश के आलोक में कहना है कि राज्य की कई नदियों में ऐसी धाराएं उपलब्ध है जिनमें चाईबासा जिले के बिन्तोपान अथवा सरायकेला जिला के चाण्डिल जलाशय के निकट सालबोनी ग्राम में किये जा रहे स्थानीय लाभुकों के द्वारा किये जा रहे मछलीपालन के तर्ज पर नदियों में अथवा नदी एवं जलाशय के सन्धिस्थल पर मछलीपालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नदियों के उपर निर्मित जलाशयों के आस-पास अथवा नदियों से सटे ऐसे स्थल भी पाये गये है जहाँ नदी में पानी की धारा अत्यन्त कम होने के बाद भी उन स्थलों पर पानी की गहराई 3-4 फीट होती है। ऐसे स्थल मत्स्यपालन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। ऐसे क्षेत्रों में विशेष प्रकार के अपेक्षित संसाधन यथा, जाल, बाँस, पाइप इत्यादि की सहयता से घेराबन्दी करके कैप्टिविटी में मछलियां पाली जायेंगी। ऐसे स्थानों पर अपने जिले के सभी पंचायतों में RFF योजना को लागू करने हेतु **नये RFF मत्स्य मित्र** का चयन किया जाय जिनके द्वारा पंचायत के **स्थल का सर्वे एवं चयन** एवं **स्थानीय परिश्रमी लाभुकों का समूह** तैयार कराया जायेगा। इस कार्य हेतु मत्स्य प्रसार योजना के अंतर्गत उपलब्ध सर्वे की राशि से प्रत्येक पंचायत में एक RFF स्थल के चयन एवं परिश्रमी लाभुकों के एक समूह को तैयार करने हेतु **नये RFF मत्स्य मित्रों को** 500/- रू0 तक का मानदेय पर व्यय किया जा सकता है जैसा कि पूर्व में मत्स्य मित्रों के माध्यम से मत्स्यजीवी सहयोग समिति के गठन आदि के लिये व्यय किया गया है।

2. **स्थल का चयन**- पंचायत स्तर पर स्थानीय स्वैच्छिक परिश्रमी समूह /स्थानीय नवयुवक एवं मत्स्य मित्र के माध्यम से की गई अनुशंसा के आलोक में मत्स्य प्रसार पर्यविक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सुयोग्य स्थल का अंतिम रुप से चयन किया जायेगा।

3. **स्थल चयन का प्रतिवेदन**- निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवदेन तैयार किया जायेगा-

क. चयनित स्थल पर नदी की चौड़ाई

ख. बरसात में नदी का अधिकतम (बाढ़ के समय) जलस्तर की उँचाई

ग. नदी के उपरी भाग से पानी का सामान्य प्रवाह (मध्यम, उच्च, अति उच्च)

घ. नदी के उपरी भाग में नदी की चौड़ाई जहाँ जाल लगाया जा सके

ड. इस प्रकार की कैप्टिविटी से उत्पन्न संभावित जलक्षेत्र

कृ.पृ.उ.

4. **स्वैच्छिक परिश्रमी समूह का गठन** - ऐसे स्थानीय नवयुवकों का समूह बनाया जाय जो नदी में रिवराईन फिश फार्मिंग (RFF) के लिये स्वेच्छा से श्रमदान करते हुये अपने स्तर से बाँस लगाने एवं रस्सी से जाल को बाँधने, आदि का कार्य कर सके।

5. **बीज संचयन के पूर्व आवश्यक तैयारियां**- इस प्रकार के जलक्षेत्रों में बीज संचयन के पूर्व सफाई के साथ-साथ वहाँ उपलब्ध खाउ मछलियों का उन्मूलन आवश्यक है।

6. **संचयन हेतु बीज, आहार, आदि** - चयनित स्थल पर बांस एवं जाल से घेरा बनाने के बाद RFF के लिये विभाग के स्तर से 9000 प्रति एकड़ की दर से फिंगरलिंग का संचयन कराना सुनिश्चित करेगें।

7. **प्रबंधन एवं शिकारमाही**- रिवराईन फिश फार्मिंग (RFF) में आहार का प्रयोग अधिक उत्पादन के लिये आवश्यक है। प्रबंधन एवं शिकारमाही की जिम्मेवारी स्वैच्छिक परिश्रमी समूह की रहेगी। रिवराईन फिश फार्मिंग (RFF) में विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्री यथा जाल आदि के रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेवारी समूह की होगी। नदी में बाढ़ या आपदा आने पर सुरक्षा के प्रबंध हेतु समूह यथासंभव प्रयास करेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी जाल अधिष्ठापन के पश्चात् सभी लाभुकों के साथ का फोटोग्राफ संचिका में संधारित करेगें। साथ ही साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा समूह को उपलब्ध कराये गये सामग्री एवं समूह को मछली उत्पादन से हुई आय का ब्यौरा पंजी में दर्ज करेगें। उत्पादित मछली पर समूह का पूर्ण अधिकार होगा।

8. **आमदनी का बँटवारा**- स्वैच्छिक परिश्रमी समूह के द्वारा उत्पादित मछलियों की बिक्री से प्राप्त आय में से अगले वर्ष के लिये बीज, आहार इत्यादि के लिये राशि रख ली जायेगी तथा आपसी सहमति से लगाये श्रमबल के अनुरुप आय का बंटवारा आपस में किया जायेगा।

9. **प्रशिक्षण**- मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा इस कार्य हेतु स्थल पर ही एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।

10. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी दिनांक 20.08.2016 तक **रिवराइन फिश फार्मिंग (RFF)** हेतु मत्स्य मित्र का चयन पूर्व में मत्स्य मित्र के चयन की प्रकिया अपनाकर कर लें।

11. दिनांक 20.09.2016 तक स्थल का चयन एवं लाभुक समूह का गठन कर लें ताकि वर्षात के बाद माह-अक्टूबर में जाल लगाने एवं 9000 प्रति एकड़ की दर से फिंगरलिंग के संचयन की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

3/08/16

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 1423 / मत्स्य / रॉची, दिनांक 3.08.16

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, रॉची/ सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

3/08/16

निदेशक मत्स्य।

ज्ञापांक 1423 / मत्स्य / रॉची, दिनांक 3.08.16

प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/सी0आई0, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/08/16

निदेशक मत्स्य।